न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

कन्हैया बनाम सुन्दरलाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0

आदेशः— दिनांक 07.04.2025

प्रार्थीया मनोज कुमारी पत्नी पन्नालाल जाति ब्राहमण निवासी खेरली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनुवान का दावा दिनांक 23.10.2000 को डिक्री किया गया था। जिस डिक्री के आधार पर इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता दिनांक 18.09.2004 को तहसीलदार कठूमर द्वारा तस्दीक किया गया है। आदेश व डिक्री दिनांक 23.10.2000 को खारिज कराने के लिये प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 जा0दी0 पेश किया जो खारिज हो गया। उसकी अपील प्रार्थीया ने श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 23.10.2000 को खारिज कर दिया जो आदेश दिनांक 19.08.2008 का है। पत्रावली अदालत के लिये पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की है। निर्णय दिनांक 23.10.2000 निरस्त हो चुका है तथा उस निर्णय के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता दर्ज किया गया है तथा तहसीलदार कठूमर ने तस्दीक किया है वो ही कानूनन खारिज हो चुका है। अतः दावे के समय की स्थिति रिकार्ड पर होने के लिये इन्तकाल संख्या 876 वाके गाम गहलावता से जो आदेश हुये है उन्हें हटाया जाने व निर्णय के पूर्व की स्थिति कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में पेश किया है जो स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही हुआ है। जवाब बन्द किया गया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

के दौरान जमाबन्दी हाल संवत् 2076 से 2079, नकल इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता व राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 19.08.2008 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.08.2004 के आधार पर इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता तहसीलदार कठूमर द्वारा तस्दीक कर दिया गया तथा उक्त इन्तकाल का अमल हाल जमाबन्दी में कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के एक पक्षिय निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.10.2000 को निरस्त कराने के लिये प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया जो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जिस आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में पेश की गयी जो अपील दिनांक 19.08.2008 को स्वीकार की जाकर न्यायालय की एकपक्षिय निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.10.2000 निरस्त किया गया है। इस वजह से न्यायालय की एकपक्षिय निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.08.2004 के आधार पर इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता जो तहसीलदार कठूमर ने तस्दीक किया है तथा उसके आधार पर हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है उसे निरस्त कर राजस्व रिकार्ड की निर्णय एंव डिक्री से पूर्व की स्थिति कायम की जावे।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली के तथ्यों के अवलोकन से यह सही है कि न्यायालय की एकपक्षिय निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.10.2000 के आधार पर तहसीलदार कठूमर द्वारा इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता स्वीकार किया गया है जिसका अमल जमाबन्दी में हो चुका है। चूँकि न्यायालय के एकपक्षिय निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.10.2000 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा निरस्त कर दिया है पत्रावली रिमाण्ड होकर अदालत हाजा को प्राप्त हो चुकी है जिसमें सभी पक्षकारान की सुनवाई कर पुनः विधिनुसार निर्णय पारित

करना है। जिस कारण न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री की पालना में तहसीलदार कठूमर द्वारा फैसल किये गये इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता का कोई औचित्य नहीं है। "धारा 144"– जहॉ कि और जहॉ तक कि किसी डिक्री या आदेश में(किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहां और वहां तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था,) उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्याथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार, जहां तक हो सके, उस स्थिति में हो जांएगे जिसमें व होते यदि व डिक्री या आदेश या(उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है)या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपरान्तरित किया गया है न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रायोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चो के प्रतिदाय के लिए और ब्याज नुकसानी प्रतिकर और अन्तःकालीन लाभों के संदाए के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणामिक है।" अतः इन्तकाल संख्या 876 वाक़े ग्राम गहलावता के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है उसे निरस्त कर राजस्व रिकार्ड की एकपक्षिय निर्णय एंव डिक्री से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना जरूरी प्रतीत होता है।

अतः इन्तकाल संख्या 876 वाके ग्राम गहलावता तहसील कठूमर से प्रभावित हुये राजस्व रिकार्ड को पुनः पूर्वानुसार स्थिति में कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है।

आज दिनांक 07.04.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर